



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2009/चैत्र 10, 1931

No. 193]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2009/CHAITRA 10, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

सा.का.नि. 225(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का.1) की धारा 210क की उप-धारा (1) और धारा 211 की उप-धारा (3ग) के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय लेखा मानक परामर्शी समिति के परामर्श से, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के उपाबंध में, "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" से संबंधित "ख. लेखा मानक" शीर्षक के अधीन "लेखा मानक 11" उपशीर्षक में पैरा 45 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"46. 7 दिसम्बर, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को या उससे पूर्व समाप्त होने वाली लेखा अवधियों के संबंध में, उद्यम के विकल्प पर (ऐसा विकल्प, ऐसी लेखा अवधि के लिए इस संक्रमणकालीन उपाबंध के प्रवर्तन में आने की तारीख से या प्रथम तारीख से, जिसको संबंधित विदेशी करेंसी मुद्रा मद अर्जित की जाती है इनमें से जो भी पश्चात्पूर्वी हो, अप्रतिसंहरणीय होगा और

उसका भूतलक्षी रूप से प्रयोग किया जाएगा तथा सभी ऐसी विदेशी करेंसी मुद्रा-मदों को लागू होगा) उन दरों पर, जो उनसे भिन्न हैं, जिन पर वे आरंभ में अवधि के दौरान अभिलिखित किए गए थे या पूर्ववर्ती वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए थे, जहां तक उनका संबंध किसी अवक्षयणीय पूंजी आस्ति के अर्जन से है, दीर्घकालिक विदेशी करेंसी मुद्रा मदों की रिपोर्ट से उद्भूत विनियम अंतरों को आस्ति की लागत में जोड़ा जा सकता है या उससे घटाया जा सकता है और आस्ति के बकाया काल में अवक्षयण किया जाएगा तथा अन्य मामलों में, उद्यम के वित्तीय विवरणों में किसी "विदेशी करेंसी मुद्रा मद स्थानान्तरण अंतर लेखा" में संचित किया जा सकता है और पैरा 15 के अनुसरण में किए गए विनियम अंतरों के अपवाद सहित, ऐसी अवधियों में से प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करके, ऐसी दीर्घकालिक आस्ति/दायित्व की बकाया अवधि में परिशोधन किया जाएगा, किंतु 31 मार्च, 2011 के परे नहीं। इस विकल्प के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए, किसी आस्ति या दायित्व को किसी दीर्घकालिक विदेशी करेंसी मुद्रा मद के रूप में अभिहित किया जाएगा, यदि आस्ति या दायित्व को किसी विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त किया जाता है और आस्ति या दायित्व के उद्गम की तारीख को उसका बारह मास या उससे अधिक की अवधि है। लेखा अवधियों से जो 7 दिसम्बर, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होती है, संबंधित कोई अंतर विकल्प के प्रयोग करने से पूर्व लाभ और हानि लेखा में पूर्ववर्ती रूप से मान्यता प्राप्त है, प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, जहां तक उसका संबंध आस्ति की लागत में जोड़कर या घटाकर किसी अवक्षयणीय पूंजी आस्ति के अर्जन से है, तथा अन्य मामलों में, "विदेशी करेंसी मुद्रा मद स्थानान्तरण अंतर लेखा" में अंतरण करके, दोनों मामलों में साधारण

आरक्षित में, यथास्थिति, विकल्प या जमा करके किया जाएगा। यदि इस पैरा में कथित विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे विकल्प के ऐसे प्रयोग के तथ्य को तथा ऐसी अवधि के, जिसमें ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अवधि के वित्तीय विवरणों में, जहां तक कोई विनिमय अंतर अपरिशोधित रह जाता है, परिशोधित की जाने वाली शेष रकम को प्रकट किया जाएगा।”

[फा. सं. 17/33/2008-सीएल V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 739(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 212(अ), तारीख 27 मार्च, 2008 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2009

G.S.R. 225(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (1) of section 642 read with sub-section (1) of section 21 A and sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the following rules to amend the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, in the Annexure, under the heading “B. ACCOUNTING STANDARDS”, in the sub-heading “Accounting Standard (AS) 11” relating to “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”, after paragraph 45, the following shall be inserted, namely:—

“46. In respect of accounting periods commencing on or after 7th December, 2006 and ending on or before 31st March, 2011, at the option of the enterprise (such option to be irrevocable and to be exercised retrospectively for such accounting period, from the date this transitional provision comes into

force or the first date on which the concerned foreign currency monetary item is acquired, whichever is later, and applied to all such foreign currency monetary items), exchange differences arising on reporting of long-term foreign currency monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the period, or reported in previous financial statements, in so far as they relate to the acquisition of a depreciable capital asset, can be added to or deducted from the cost of the asset and shall be depreciated over the balance life of the asset, and in other cases, can be accumulated in a “Foreign Currency Monetary Item Translation Difference Account” in the enterprise’s financial statements and amortized over the balance period of such long-term asset/liability but not beyond 31st March, 2011, by recognition as income or expense in each of such periods, with the exception of exchange differences dealt with in accordance with paragraph 15. For the purposes of exercise of this option, an asset or liability shall be designated as a long-term foreign currency monetary item, if the asset or liability is expressed in a foreign currency and has a term of 12 months or more at the date of origination of the asset or liability. Any difference pertaining to accounting periods which commenced on or after 7th December, 2006, previously recognized in the profit and loss account before the exercise of the option shall be reversed in so far as it relates to the acquisition of a depreciable capital asset by addition or deduction from the cost of the asset and in other cases by transfer to “Foreign Currency Monetary Item Translation Difference Account” in both cases, by debit or credit, as the case may be, to the general reserve. If the option stated in this paragraph is exercised, disclosure shall be made of the fact of such exercise of such option and of the amount remaining to be amortized in the financial statements of the period in which such option is exercised and in every subsequent period so long as any exchange difference remains unamortized.”

[F. No. 17/33/2008/CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 739(E), dated the 7th December, 2006 and amended *vide* notification number G.S.R. 212(E), dated 27th March, 2008.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2009/चैत्र 10, 1931

No. 194]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2009/CHAITRA 10, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

सा.का.नि. 226(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 641 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची 6 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अनुसूची के "तुलनपत्र का प्ररूप" से संबंधित भाग I में, "क्षैतिज प्ररूप" शीर्षक के अधीन स्तंभ (6) में, दूसरा पैरा, स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 17/133/2008-सीएल V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :- अनुसूची का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :-

1. कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 और तत्पश्चात्
2. सं. सा.का.नि. 414, तारीख 21-3-1961
3. सं. सा.का.नि. 78, तारीख 4-1-1963
4. सं. सा.का.नि. 129, तारीख 3-1-1968
5. सं. सा.का.नि. 1665, तारीख 9-10-1971
6. सं. सा.का.नि. 494(अ), तारीख 30-10-1973

7. सं. सा.का.नि. 455, तारीख 27-4-1974
8. सं. सा.का.नि. 220(अ), तारीख 12-3-1979
9. सं. का.आ. 400(अ), तारीख 19-4-1988
10. सं. सा.का.नि. 784(अ), तारीख 13-7-1988
11. सं. का.आ. 723(अ), तारीख 18-9-1990
12. सं. सा.का.नि. 388(अ), तारीख 15-5-1995
13. सं. सा.का.नि. 423(अ), तारीख 13-9-1996
14. सं. सा.का.नि. 129(अ), तारीख 22-2-1999
15. सं. सा.का.नि. 376(अ), तारीख 22-5-2002
16. सं. सा.का.नि. 545(अ), तारीख 1-8-2002
17. सं. सा.का.नि. 762(अ), तारीख 13-11-2002
18. सं. सा.का.नि. 719(अ), तारीख 16-11-2007 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2009

G.S.R. 226(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule VI to the said Act, namely:—

1. In the said Schedule, in Part I relating to "Form of Balance Sheet", under heading "A. Horizontal Form", in column (6), the second paragraph, Explanation 1 and Explanation 2 shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 17/133/2008-CL. V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Foot Note :—The Schedule was amended *vide* :—

1. Companies (Amendment) Act, 1960 and subsequently amended *vide*
2. No. G.S.R. 414, dated 21-3-1961.
3. No. G.S.R. 78, dated 4-1-1963.
4. No. G.S.R. 129, dated 3-1-1968.
5. No. G.S.R. 1665, dated 9-10-1971.

6. No. G.S.R. 494(E), dated 30-10-1973.
7. No. G.S.R. 455 dated 27-4-1974.
8. No. G.S.R. 220(E), dated 12-3-1979.
9. No. S.O. 400(E), dated 19-4-1988.
10. No. G.S.R. 784(E), dated 13-7-1988.
11. No. S.O. 723(E), dated 18-9-1990.
12. No. G.S.R. 388(E), dated 15-5-1995.
13. No. G.S.R. 423(E), dated 13-9-1996.
14. No. G.S.R. 129(E), dated 22-2-1999.
15. No. G.S.R. 376(E), dated 22-5-2002.
16. No. G.S.R. 545(E), dated 1-8-2002.
17. No. G.S.R. 762(E), dated 13-11-2002.
18. No. G.S.R. 719(E), dated 16-11-2007.